

तमलि शरणार्थी समस्या

मेन्स के लयि

भारत में शरणार्थी समस्या

चरचा में क्यों?

हाल ही में पारलि [नागरकता संशोधन अधनियम, 2019](#) (Citizenship Amendment Act) में भारत में रह रहे तमलि शरणार्थियों को शामिल न कयि जाने के कारण तमलिनाडु में इसका वरिोध कयि जा रहा है ।

तमलि शरणार्थी:

- तमलिनाडु में लगभग 1 लाख से अधिक तमलि शरणार्थी रह रहे हैं जो क श्रिलंका में हुए नृजातीय संघर्ष के बाद भारत आए थे । इनमें से अधकिंश हद्वि हैं ।
- श्रिलंकाई तमलि मूलतः भारतीय मूल के तमलि हैं जनिके पूरवज एक शताब्दी पहले श्रिलंका के चाय बागानों में काम करने गए थे ।
- भारत में आने वाले तमलि शरणार्थियों को दो भागों में बाँटा जा सकता है । पहले वो जो वर्ष 1983 से पहले भारत आए तथा दूसरे वो जो श्रिलंका में हुए हसिक तमलि वरिोधी अलगाववादी आंदोलन के बाद आए थे ।
- वर्ष 1964 में भारतीय परधानमंतरी लालबहादुर शास्त्री तथा तत्कालीन श्रिलंकाई परधानमंतरी सरिमिावो भंडारनाइके के बीच समझौता हुआ ।
- इसके तहत फ़ैसला लयिा गया था क श्रिलंका में रह रहे भारतीय मूल के लगभग 9,75,000 लोगों, जनिहें कसिी देश की नागरकता नहीं प्राप्त थी, को उनके पसंद के देश में नागरकता दी जाए ।
- श्रिलंका से आए लगभग 4.6 लाख तमलि लोगों को भारत में आधिकारिक तौर पर नागरकता दी गई ।
- अतः जो लोग वर्ष 1982 तक भारत आ गए थे उनमें से अधकिंश को वैधानिक तौर पर नविस की सुवधि दी गई कतिु इस समझौते के तहत सभी को नागरकता नहीं दी जा सकी ।
- वर्ष 1983 में तमलियों के वरिुद्ध हुई नृजातीय हसिा के बाद श्रिलंका से भारी संख्या में लोग शरणार्थी के रूप में भारत आए । इन शरणार्थियों की संख्या म्यांमार, वयितनाम से आने वाले शरणार्थियों से बहुत अधिक थी ।
- इस दौरान श्रिलंका से आए शरणार्थियों को भारत के तमलिनाडु राज्य में वभिन्न स्थानों पर बने कैंपों में रखा गया ।
- वर्ष 2009 में लट्टिटे (Liberation Tigers of Tamil Eelam- LTTE) के अंत होने तक तमलि शरणार्थियों का श्रिलंका से भारत आना जारी रहा ।

तमलि शरणार्थियों की वर्तमान स्थति:

- तमलिनाडु के 107 शरणार्थी शविरिों में लगभग 19,000 परिवार हैं जनिमें 60,000 सदस्य रहते हैं ।
- कैंपों में रह रहे इन शरणार्थियों को सरकार की तरफ से आर्थिक व अन्य आवश्यक सहायता परदान की जाती है कतिु उन्हें बाहर जाने की अनुमतनिहीं होती है ।
- इसके अलावा लगभग 30,000 तमलि शरणार्थी कैंपों के बाहर रहते हैं कतिु उन्हें एक नशिचति अवधि के बाद नजदीकी पुलसि स्टेशन पर रपौरट करना होता है ।
- वर्ष 1991 में पूरव परधानमंतरी राजीव गांधी की हत्या के बाद तमलि शरणार्थियों पर अत्यधिक नयितरण लगा दयिा गया ।

श्रिलंकाई तमलि शरणार्थियों की मांग:

- भारत में रह रहे श्रिलंकाई तमलि शरणार्थियों की मांग है क विे भारतीय नागरक घोषति कयि जाएँ कयोंक उनहें इस बात का भय है क यिद विे वापस श्रिलंका लौटते हैं तो उनहें श्रिलंका सरकार और सहिल बौद्ध संप्रदाय के बहुसंख्यक लोगों की प्रताडना का शकिार होना पड़ेगा ।
- भारतीय मूल के अधकिंश श्रिलंकाई तमलियों की पैतृक संपत्ति, रशितेदार आदि भारत में मौजूद हैं । इनमें से जो श्रिलंका में हुए नृजातीय हसिा के पहले

भारत आ गए थे उनको शास्त्री-भंडारनाइके समझौते (Shastri-Bandaranaike Pact) के तहत नागरिकता प्राप्त हो गयी थी। अतः बाद में आए शरणार्थियों का कहना है कि उन्हें भी भारतीय नागरिकता दी जाए।

- इसके अलावा कैम्पों में रह रहे लोगों की श्रीलंका की संपत्ति तथा घर सभी नष्ट हो चुके हैं। इस स्थिति में उन्हें वहाँ जाने पर नए सरि से जीवन शुरू करना पड़ेगा जिसके लिये वे तैयार नहीं हैं।
- जब नागरिकता संशोधन अधिनियम में तमिल शरणार्थियों के लिये कोई प्रावधान नहीं किया गया तो इस स्थिति में उनकी तरफ से कुछ राजनीतिक दलों तथा समाजसेवियों ने इसका वरिध करना प्रारंभ किया।

आगे की राह:

- तमिल शरणार्थियों के मामले को हल करने के लिये आवश्यक है कि भारत तथा श्रीलंका दोनों के मध्य आपसी बातचीत के माध्यम से कोई सर्वमान्य हल निकाला जाए।
- इसके अलावा वर्ष 1964 के शास्त्री-भंडारनाइके समझौते के तहत तमिल शरणार्थियों को दोबारा नागरिकता देने का प्रावधान किया जाना चाहिये। ताकि वे शरणार्थी कैम्पों से बाहर निकलकर सामान्य जीवन व्यतीत कर सकें।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/in-citizenship-debate>

